प्रेस विज्ञप्ति

लापता पति की जमीन हड़पने के लिए फर्जी हस्ताक्षर से विक्रय पत्र और बंधक पत्र पंजीकृत कराने का गंभीर आरोप जिस व्यक्ति को भाई मानकर सौंपे घर और संपत्ति के दस्तावेज, उसी पर जमीन हड़पने की साजिश का आरोपय पीड़िता ने पुलिस से FIR दर्ज करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की।

देहरादून, 15 नवंबर 2026

देहरादून में जमीनों के कथित फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला सामने आया है। धामावाला बाजार निवासी श्रीमती डिंपल बोबल ने राजेश ढोढी एवं उसके सहयोगियों पर अपने लापता पति श्री अमित बोबल की बालावाला एवं ग्राम द्वारा स्थित दोनों क्षेत्र अंतर्गत रायपुर थाना में भूमि को कथित फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज से शिकायत दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

पीड़िता के अनुसार, दिनांक 22 जून 2022 को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हुए हादसे में उनके पति अमित बोबल तेज बहाव में बहकर लापता हो गए थे। उन्हें बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में थाना लक्ष्मण झूला में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है।

पीड़िता का आरोप है कि पति के लापता होने के बाद उनकी असहाय एवं मानसिक रूप से कमजोर परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनके पति के व्यापारिक परिचित राजेश डोडी ने भाई जैसा विश्वास जीतकर उनसे कोरे कागजों, खाली स्टाम्प पेपरों एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तथा अंगूठे के निशान करवाए। इतना ही नहीं, पीड़िता के अनुसार, राजेश डोडी उनके घर से नगदी, सोने–चांदी के आभूषण, संपत्ति के मूल दस्तावेज एवं हस्ताक्षरित बैंक चेक भी सुरक्षित रखने के बहाने अपने साथ ले गया।

SCAN AnyScanner

श्रीमती डिंपल बोबल ने आरोप लगाया है कि 6 महीने पूर्व जब उन्होंने अपने सामान एवं दस्तावेज वापस मांगे तो राजेश डोडी ने कथित रूप से गाली–गलौज करते हुए बंदूक होने की बात कही और उन्हें तथा उनके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। और यहां तक की कोतवाली थाना पुलिस एवं रायपुर थाने में उनके विरुद्ध फर्जी FIR पंजीकृत की गई है जिससे उनकी भूमि धारा धमकाकर एवं जेल भेजने की बात कह कर पीड़िता को चुप कराया जा सके।

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि पीड़िता को जानकारी मिली कि उनके पति के नाम से बालावाला एवं ग्राम द्वारा स्थित भूमि के संबंध में एक फर्जी अनुबंध पत्र तथा एक अन्य बंधक पत्र तैयार कराकर पंजीकृत कराए गए हैं। इन दस्तावेजों में उनके पति अमित बोबल के फर्जी हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं, यह साजिश राजेश डोडी ने पीड़िता के पति के दिनांक 22 जून 2022 को नदी में डूबने के कारण लापता होने के बाद रची जो आज तक बरामद नहीं हुए हैं।

पीड़िता का दावा है कि उनके पति के हस्ताक्षर फर्जी हैं और उनकी जानकारी एवं वास्तविक सहमति के बिना दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षरों का भी इस्तेमाल किया गया है। कथित दस्तावेजों में उन्हें गवाह के रूप में दर्शाए जाने पर भी उन्होंने गंभीर आपत्ति जताई है।

पीड़िता ने बताया कि उन्होंने 11 सितंबर 2026 को थाना रायपुर में शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें प्राप्ति रसीद नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत की। 15 सितंबर 2026 को सिविल न्यायालय, सीनियर डिवीजन, देहरादून से संबंधित एक केविएट की प्रति प्राप्त होने के बाद उन्होंने न्यायालय एवं संबंधित अभिलेखों से जानकारी जुटाई, जिसमें कथित विक्रय पत्र एवं बंधक पत्र की जानकारी सामने आई।

पीड़िता की प्रमुख मांगें हैं कि राजेश डोडी एवं इस कथित षड्यंत्र में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। विक्रय पत्र एवं बंधक पत्र में दर्शाए गए अमित बोबल के हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन, गवाहों, पंजीकरण प्रक्रिया एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका

SCAN AnyScanner

की निष्पक्ष जांच हो।पीड़िता से प्राप्त किए गए हस्ताक्षरित कोरे कागजों, स्टाम्प पेपरों एवं अन्य दस्तावेजों के दुरुपयोग की जांच की जाए,नगदी, सोने–चांदी के आभूषण, मूल संपत्ति दस्तावेज एवं अन्य सामान बरामद कराया जाए,बालावाला एवं ग्राम द्वारा स्थित संपत्तियों को कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आगे हस्तांतरित या खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए, पीड़िता एवं उनके दोनों बच्चों को जान–माल की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। श्रीमती डिंपल बोबल ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सामान्य संपत्ति विवाद मानकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि कथित जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी एवं संपत्ति हड़पने के प्रयास के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

पीड़िता का कहना है कि उनके पति के लापता होने की त्रासदी के बाद अब उनके और उनके बच्चों के भविष्य एवं संपत्ति की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। उन्हें न्याय और सुरक्षा दिलाना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में **सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती सुजाता पॉल ने पुलिस के कार्यप्रणाली एवं प्रशासन** द्वारा कथित बंधक पत्र एवं अनुबंध पत्र पंजीकृत किए जाने पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की, पीड़िता के अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि पुलिस तत्काल पीड़िता की भी FIR पंजीकृत करें और निष्पक्ष रूप से जांच करें उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी शिकायत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर उन्हें उम्मीद है कि महिला अपराध पर बडे वायदे करने वाली धामी सरकार पीड़िता श्रीमती डिंपल बोबल को भी न्याय दिलायेगी।

Dimple

डिंपल बोबल
पत्नी लापता श्री अमित बोबल
निवासी– 8 धामावाला बाजार,
देहरादून।
(पीड़िता)
मो0नं0 9997774563
(अधिवक्ता पीडिता, पंकज सिंह क्षेत्री)

SCAN AnyScanner

सेवा में,

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक

गढवाल रेंज, देहरादून

उत्तराखण्ड।

विषयः मेरे लापता पति श्री अमित बोबल के फर्जी हस्ताक्षर एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनकी बालावाला एवं ग्राम द्वारा स्थित भूमि को हड़पने, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, विश्वासघात, धमकी देने तथा मेरे हस्ताक्षरित कोरे कागजों एवं स्टाम्प पेपरों का दुरुपयोग करने वाले राजेश डोडी एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी डिंपल बोबल पत्नी,लापता श्री अमित बोबल, निवासी – 8, धामावाला बाजार देहरादून, निम्नलिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह गंभीर शिकायत प्रस्तुत कर रही हैं। दिनांक 22.06.2022 को मैं अपने पति श्री अमित बोबल, अपने दोनों पुत्रों एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ लक्ष्मण झूला, ऋषिकेष घूमने गई थी। इसी दौरान गंगा नदी के किनारे स्थित रेंतीले घाट का एक हिस्सा अचानक नदी में धंस गया, जिसके परिणामस्वरूप मैं, मेरे पति श्री अमित बोबल एवं मेरा बड़ा पुत्र गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगे। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों, पुलिस एवं एसडीआरएफ की सहायता से मुझे एवं मेरे बड़े पुत्र को किसी प्रकार बचा लिया गया, जबकि मेरे पति श्री अमित बोबल गंगा नदी में बहकर लापता हो गए।

मेरे पति को काफी खोजबीन के बावजूद आज तक बरामद नहीं किया जा सका है। इस संबंध में थाना लक्ष्मण झूला में दिनांक 22.06.2022 को गुमशुदगी/ लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसका अभिलेख पुलिस के पास उपलब्ध है।

मेरे पति के अचानक लापता हो जाने से मेरा पूरा परिवार मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकट में आ गया। मेरे दो छोटे बच्चों के पालन–पोषण एवं भविष्य की

पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड 12/4/22

Dimple

पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इस असहाय एवं अत्यंत संवेदनशील परिस्थिति में मुझे अपने पति की संपत्ति एवं अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी रहती थी।

इसी दौरान मेरे पति के व्यापारिक परिचित राजेश ढोढी, पुत्र श्री चमन लाल निवासी सुमन नगर धर्मपुर देहरादून, जिसकी मेरे पति की दुकान के समीप ही जूते की दुकान है, ने मुझसे सहानुभूति एवं हमदर्दी प्रदर्शित करनी शुरू कर दी। वह मुझे अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित करता था और बार–बार यह विश्वास दिलाता था कि मेरे पति जल्द वापस आ जाएंगे तथा वो मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगा।

राजेश ढोढी अपनी पत्नी पूनम ढोढी एवं बच्चों के साथ अक्सर मेरे घर आता–जाता था। मेरे पति के लापता होने के पश्चात जब मेरे ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मुझे कथित रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा तथा मेरे विरुद्ध विभिन्न मुकदमे एवं विवाद खड़े किए गए, तब राजेश ढोढी ने मेरी सहायता करने का दिखावा किया। उसने मुझे एवं मेरे दोनों बच्चों को सुरक्षा दिलाने तथा मेरे ससुराल पक्ष से संपत्ति को सुरक्षित रखने का भरोसा दिलाया।

मैं उस समय मानसिक रूप से अत्यंत कमजोर एवं असहाय थी। राजेश ढोढी ने इसी परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर मेरा विश्वास अर्जित किया और धीरे–धीरे मेरे परिवार, संपत्ति, बैंक खातों, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक विवादों तथा निजी दस्तावेजों से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त कर लीं।

यह कि राजेश ढोढी मुझे लगातार यह कहकर डराता था कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग मेरी एवं मेरे दोनों पुत्रों की संपत्ति हड़प सकते हैं तथा हमें जान–माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह मुझे विभिन्न मुकदमों में फंसाए जाने एवं बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने का भय दिखाता था।

इसी बहाने वह मुझसे अनेक बार कोरे कागजों, खाली स्टाम्प पेपरों एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाता रहा। कई बार वह मुझे भिन्न भिन्न सरकारी कार्यालयों में भी ले गया, जहां उसने विभिन्न कागजों पर मेरे हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान करवाए तथा मेरे फोटो भी खिंचवाए।

Dimple

जब भी मैंने उससे यह जानना चाहा कि मुझसे किस उद्देश्य से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, तो वह यह कहकर मुझे चुप करा देता था कि क्या मुझे अपने भाई राजेश डोडी पर भरोसा नहीं है?

उसके इस व्यवहार एवं भाई जैसा विश्वास दिलाने के कारण मैं उसपर उस समय कोई संदेह नहीं करती थी। सरकारी कार्यालयों में भी मुझे दस्तावेजों की वास्तविक प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

राजेश ढोढी मेरे ससुराल पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही कराने एवं मेरी संपत्ति सुरक्षित रखने का बहाना बनाकर मुझसे हस्ताक्षरित दस्तावेज लेता रहा। मुझे आज गंभीर आशंका है कि मेरे इन्हीं हस्ताक्षरों एवं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर मेरे विरुद्ध तथा मेरे पति की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं। लगभग दो वर्ष पूर्व राजेश ढोढी ने मुझे एवं मेरे दोनों पुत्रों को मेरे ससुराल पक्ष से जान–माल का खतरा होने का भय दिखाया तथा यह कहा कि मेरे घर में रखे नगदी, सोने–चांदी के आभूषण, संपत्ति के मूल दस्तावेज, हस्ताक्षरित बैंक चेक, हस्ताक्षरित कोरे कागज एवं स्टाम्प पेपर मेरे घर पर सुरक्षित नहीं हैं।

उसने इन सभी सामानों को अपने पास सुरक्षित रखने तथा मेरे ससुराल पक्ष के साथ विवाद समाप्त होने पर वापस लौटाने का आश्वासन दिया। उसके विश्वास में आकर मैंने उक्त सामान उसे सौंप दिया। उक्त सामान एवं दस्तावेज राजेश ढोढी अपने साथ ले गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उसकी पत्नी श्रीमती पूनम ढोढी को भी है। आज से जब लगभग छह माह पूर्व मैंने राजेश ढोढी से अपने सोने–चांदी के आभूषण, नगदी एवं संपत्ति के मूल दस्तावेज वापस मांगे, तो उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने मुझे सामान वापस देने के बजाय गाली–गलौच करना शुरू कर दिया और अपने पास बंदूक होने की बात कहकर मुझे एवं मेरे दोनों पुत्रों को जान से मारने की धमकी दी। उसने मुझे इस प्रकार भयभीत किया कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई। इसी घटना के बाद से मेरा उससे बोलचाल एवं संपर्क लगभग समाप्त हो गया।

Dimple

यह कि डेढ़ माह पूर्व में मुझे एक परिचित के माध्यम से सूचना मिली कि राजेश ढोढी ने मेरी बालावाला स्थित भूमि/संपत्ति पर अपने नाम से बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। यह जानकारी मेरे लिए अत्यंत चौंकाने वाली थी। मुझे पहली बार गंभीर आशंका हुई कि राजेश डोडी ने मेरे विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर मेरी एवं मेरे पति की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बना ली है।

इस संबंध में मैंने दिनांक 11.09.2026 को थाना रायपुर में शिकायत प्रस्तुत की, किंतु मुझे शिकायत की प्राप्ति रसीद नहीं दी गई। इसके पश्चात मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की, जिसकी प्राप्ति मुझे प्राप्त हुई। इसके बाद दिनांक 15.09.2026 को सिविल न्यायालय, सीनियर डिवीजन , देहरादून से संबंधित एक केविएट की प्रति मुझे प्राप्त हुई। इससे मामला और अधिक गंभीर प्रतीत हुआ।

मैंने अपने परिचितों एवं अधिवक्ता से संपर्क कर न्यायालय तथा संबंधित रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस दौरान मेरे संज्ञान में आया कि राजेश डोडी द्वारा मेरे पति श्री अमित बोबल के दिनांक 22.06.2022 को गंगा नदी में लापता होने की घटना का अनुचित लाभ उठाकर उनकी बालावाला एवं ग्राम द्वारा स्थित भूमि के संबंध में एक विक्रय पत्र तथा एक अन्य बंधक पत्र तैयार कराकर पंजीकृत कराया गया है। उक्त दस्तावेजों में मेरे पति श्री अमित बोबल के हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं, जबकि मेरे पति दिनांक 22.06.2022 से गंगा नदी में लापता हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

मेरा स्पष्ट एवं गंभीर आरोप है कि उक्त दस्तावेजों में मेरे पति के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं तथा उनके स्थान पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इन दस्तावेजों की सत्यता, हेतु जांच कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। सबसे गंभीर बात यह है कि उक्त कथित फर्जी दस्तावेजों में मुझे भी गवाह के रूप में शामिल किया गया है। मुझे विश्वास में लेकर, वास्तविक तथ्यों को छिपाकर तथा मेरी मानसिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर मेरे हस्ताक्षर प्राप्त किए गए और अब उन्हीं हस्ताक्षरों का उपयोग दस्तावेजों को वैध एवं वास्तविक प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है।

SCAN AnyScanner

मैंने न तो अपने पति की भूमि के विक्रय की सहमति दी थी और न ही किसी व्यक्ति को उनकी संपत्ति का हस्तांतरण कराने का अधिकार दिया। उपरोक्त समस्त घटनाओं को एक साथ देखने से यह गंभीर आशंका उत्पन्न होती है कि राजेश ढोढी ने मेरे पति के लापता होने के बाद मेरी असहाय स्थिति का लाभ उठाकर सुनियोजित तरीके से मेरा विश्वास जीता, मेरी नगदी, गहने, संपत्ति एवं पारिवारिक स्थिति की जानकारी एकत्र की, मेरे हस्ताक्षरित कोरे कागजों एवं स्टाम्प पेपरों सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और तत्पश्चात मेरे पति की भूमि के संबंध में कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। मेरी आशंका है कि इस पूरे षड्यंत्र में अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी भूमिका की जांच होना आवश्यक है। विशेष रूप से उन व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए जिन्होंने उक्त दस्तावेज तैयार किए, गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए, दस्तावेजों का पंजीकरण कराया अथवा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। मेरे पति की बालावाला एवं ग्राम द्वारा स्थित संपत्तियों को कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कब्जे में लेने तथा भविष्य में उनका हस्तांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह कि राजेश ढोढी द्वारा पूर्व में मुझे एवं मेरे दोनों पुत्रों को बंदूक होने की बात कहकर धमकाया जा चुका है। वह मेरे दस्तावेज, गहने, नगदी, कोरे हस्ताक्षरित कागज,स्टांप पेपर एवं संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में रखे हुए है। उसके द्वारा किए गए कथित फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मुझे एवं मेरे दोनों बच्चों को अपनी सुरक्षा की गंभीर चिंता ळें मुझे आशंका है कि मेरे द्वारा पुलिस में शिकायत करने एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करने के कारण वह मुझे तथा मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। अतः हमारी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। और यहां तक कि उपरोक्त राजेश ढोढी ने मेरे खिलाफ झूठी एवं मनगढ़त मुझे फसांने, डराने की नीयत से एफ0आई0आर0 सं0 0414 थाना रायपुर, देहरादून में दिनांक 07.10.2026 और एफ0आई0आर0 सं0 0335 थाना कोतवाली दिनांक 11.09.2026 को दर्ज करा रखी है, जिससे कि मैं, इस षडयंत्र के खिलाफ कुछ बोल न सकूं।

अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि मैं पहले ही अपने पति के लापता होने के कारण जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रही हूं। मेरे दो बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिस व्यक्ति को मैंने अपना भाई समझकर अपने घर एवं परिवार का सदस्य माना, उसी पर अब मेरे पति की संपत्ति को कथित फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने का प्रयास कर रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

दिनांक – 12.11.2026

स्थानः देहरादून

प्रार्थिनी

Dimple

डिंपल बोबल
पत्नी श्री अमित बोबल
पता– 8, धामावाला बाजार देहरादून
मोबाइल नंबर 9997779201

संलग्न

1. थाना लक्ष्मण झूला में मेरे पति अमित बोबल के लापता होने की जीडी की प्रति।
2. बालावाला एवं ग्राम द्वारा की भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।
3. कथित विक्रय पत्र एवं बंधक पत्र की प्रतियां।

SCAN AnyScanner

गंगा में डूबे दिल्ली के दो पर्यटक और देहरादून का एक व्यक्ति

आईटीबीपी कैंप और गोवा बीच के पास की घटनाएं, सर्च अभियान जारी

ऋषिकेश। गंगा में नहाते समय दो अलग-अलग स्थानों पर दिल्ली के दो पर्यटक और देहरादून का एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में आकर डूब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। शाम ढलने तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया।

मुनिकीरेती पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के छह पर्यटक ऋषिकेश घूमने आए थे। रविवार को सभी लोग आईटीबीपी कैंप के पास गंगा में नहा रहे थे। इस बीच दिल्ली के उत्तम नगर के विकास नगर निवासी दीपक वर्मा (30) पुत्र देवीलाल और सचिन (23) नहाते समय गंगा के तेज बहाव में आकर बह गए। पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मुनिकीरेती थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि गंगा में बहे दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।



शिवपुरी में सर्च अभियान चलाते एसडीआरएफ के जवान। -संवाद

वहीं देहरादून के रेसकोर्स के रहने वाले अमित बोबल (42) पुत्र किशन लाल बोबल पारिवारिक सदस्यों के साथ लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने आए थे। गोवा बीच पर गंगा में नहाते समय अमित गंगा के तेज बहाव में आकर गहरे पानी में चले गए।

कुछ ही देर में वह गंगा की लहरों में ओझल हो गए। लक्ष्मणझूला थाना प्रभारी संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि अब तक व्यक्ति का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। अंधेरा होने के चलते सर्च अभियान में दिक्कत आ रही है। संवाद

General Diary Details
आम रोजनामचा विवरण

Date (दिनांक): 28/06/2022 20:25

State (राज्य): उत्तराखण्ड

P.S. (थाना): लक्ष्मणझूला

District (जिला): पौड़ी गढ़वाल

1. **G.D. No. (रोजनामचा सं.):** 038
2. **G.D. Date (रोजनामचा दिनांक):** 28/06/2022 20:25 बजे
3. **G.D. Type (रोजनामचा प्रकार):** आगमन
4. **Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)):** DineshSingh
5. **Case Type (प्रकरण के प्रकार) :** चोरी
6. **G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):**
   इस समय व0उ0नि0 सुनील सिंह रावत मय का0ज0पु0 रितेश कुमार , का0ज0पु0 अनुराग, पी0आर0डी0 करण, गोताखोर भवानन्द मय रहत बचाव व खोज उपकरण के रवाना कुटा रवाना रपट रो0 आम तारीखी इमरोज में गोवा बीच में डूबे व्यक्ति अमित बोबल पुत्र स्व0 श्री निरंजन लाल बोबल निवासी रेसकोर्स देहरादून उम्र 42 वर्ष की सूचना पर घटनास्थल गोवा बीच व लक्ष्मणझूला, किरमोला, रामझूला गंगा घाटों से खोज व रेस्क्यू अभियान के वापस आये व तहरीर कराया कि हम जल पुलिस कर्म0गणों द्वारा SDRF टीम की सहायता से उपरोक्त डूबे व्यक्ति अमित बोबल की घटनास्थल गोवा बीच व आसपास गंगा घाट पर काफी तलाश की गयी परन्तु नही मिला रात्री का समय व नावक होने के कारण खोज अभियान चलाया जाना सम्भव नही है कल प्रात पुनः तलाश हेतु SDRF टीम की सहायता से खोज अभियान चलाया जायेगा उपरोक्त सम्बन्ध में थाना प्रभारी व उच्च अधिकारीगणों को सूचना दी गयी। तथा तारीखी इमरोज में का0व.उ. अनुराग पाल व गोताखोर भवानन्द द्वारा गंगा नदी में डूब रहे व्यक्ति मनदीप सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह उम्र 26 वर्ष, अनिता पत्नी मनदीप सिंह उम्र 26 वर्ष व हेम सिंह पुत्र धर्मेन्द उम्र 23 वर्ष निवासीगण DAT - 1 चन्दनगर दिल्ली को बचाया गया।
7. **Subject (विषय):**
   वापसी व0उ0नि0 व कर्म0गण खोज व रेस्क्यू अभियान से
8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):**

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 02/07/2022

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): Santosh Singh Kunwar

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): Santosh Singh Kunwar

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.):

100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UT

L 120999

बंधकपत्र/गिरवीनामा (मय कब्जा)

श्री [illegible] पुत्र स्व० किशन लाल बौध्ल निवासी:- 8, थामावाला देहरादून, उत्तराखण्ड।

.....बंधककर्ता

के द्वारा-

श्री [illegible] डोडी पुत्र स्व० चमन लाल डोडी निवासी- 40, सुमननगर, धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

.....बंधकगृहिता

के पक्ष में किया गया ।

विदित हो कि बंधककर्ता के पिता श्री कृष्ण लाल ने भूमि खसरा संख्या 1193 कु[illegible] 4860 है० अर्थात् 4860 वर्ग मीटर स्थित ग्राम बालावाला देहरादून को इसके मू[illegible] खरीदार रघुवीर सिंह से पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 23.08.1999 के माध्यम से खरीदी थी जिस[illegible] आधार पर उनका नाम तहसील के रिकार्ड अर्थात फर्द में चढ़ गया था परन्तु श्री कृष्ण लाल [illegible] की मृत्यु हो जाने के बाद प्रपत्र 597/08.11.2010 के अनुसार इस खाते के बंधककर्ता [illegible] माता बाल्ला जी का नाम चढ़ गया था। जिस कारण बंधककर्ता और उनकी माता [illegible] जी का नाम उक्त कुल रकबा 4860 वर्ग मीटर के आगे-आगे भाग [illegible]

बही संख्या । रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... वर्ष 2025

Mortgage
Mortgage Deed

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 24000.00	रु0 100.00	रु0 240.00	रु0 24340.00	1000

श्री राजेश ढोडी पुत्र श्री चमन लाल निवासी ४० सुमन नगर धर्मपुर देहरादून ने आज दिनांक 29 Jan 2025 समय मध्य 5PM व 6PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून,तृतीय मे प्रस्तुत किया ।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
29-Jan-2025

श्री राजेश ढोडी

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर क्रेता श्री राजेश ढोडी पुत्र श्री चमन लाल निवासी ४० सुमन नगर धर्मपुर देहरादून ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन विक्रेता ने प्रलेखानुसार विक्रय धन मुबलिग रु0 1200000 की प्राप्ति को भी स्वीकार किया । ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया।

चूंकि इस बात का विश्वास कर लेने पर कि श्री राजेश ढोडी पुत्र श्री चमन लाल निवासी ४० सुमन नगर धर्मपुर देहरादून ने इस लेखपत्र का निष्पादन अपने पदानुसार ने स्वीकार किया। अतः उनकी ओर से इस लेखपत्र का निष्पादन स्वीकार करते हुए उनकी उपस्थिति एवं हस्ताक्षरों से मुक्त किया गया ।

जिनकी पहचान कुमारी डिम्पल पुत्री श्री किशन लाल, निवासी ८ धामावाला बाज़ार देहरादून तथा श्री संजय कुमार ढोडी पुत्र श्री चमन लाल ढोडी निवासी २६ सुमन नगर धर्मपुर देहरादून ने की।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
29-Jan-2025

...20 को बंधककर्ता के हक में कर दिया जिस कारण बंधककर्ता इस भूमि के कुल रकबा ...320 = 4280 वर्ग मीटर (जिसको इस बंधकपत्र के आखिर में निम्न वर्णित भूमि के रूप में दिखाया जा रहा है) का एकमात्र मालिक बन गया। जिस कारण बंधककर्ता का नाम माल अभिलेखों में उक्त प्राप्त रकबे पर दर्ज व इन्द्राज चला आ रहा है।

विदित हो कि निम्न वर्णित भूमि अभी तक हर प्रकार के भार बंधन, रहन, विक्रय, दान आदि से मुक्त व साफ है और उसमें मुझ बंधककर्ता को सभी प्रकार से विक्रय, दान बंधन, बंधक, उपहार आदि करने पूर्ण मल्किाना अधिकार प्राप्त है और मेरे हस्तान्तरण में कोई विधिक अड़चन अथवा रूकावट नही है।

विदित हो कि बंधककर्ता अपना आभूषण व्यापारी अर्थात् सुनार है, कोविड के चलते व्यापार में मन्दी आ गई परन्तु लोगो की देनदारी जस की तस बनी हुई है जिस कारण बंधककर्ता को कुल बीस लाख रूपये की जरूरत रही है जिसमें से लगभग आठ लाख रूपये का बंदोबस्त हो गया है परन्तु अभी तक बारह लाख रूपये की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिस कारण बंधकगृहिता जिनसे किसी परिचित के माध्यम से जानपहचान हुई और वे उनक मित्रता के चलते मदद को तैयार है परन्तु उक्त रकम उधार के बदले कोई सम्पत्ति गिरवी रखने का प्रस्ताव दे रहे है जिस कारण क्योंकि मुझे उक्त धन की जरूरत है इसलिए मैं उनके इस प्रस्ताव को अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहर्ष स्वीकार कर उन्हें अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति रहन कर रहा हूँ जिसमें बंधकगृहिता भी अपनी सहमति दे रहे है जिस कारण बंधककर्ता अपनी निम्न वर्णित भूमि मु० 12,00,000/– बारह लाख रूपये में रहन रखना बंधक रखने का यह बंधकपत्र निम्नानुसार पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/05/2022 को अंकित व निष्पादित कर रहे है :-

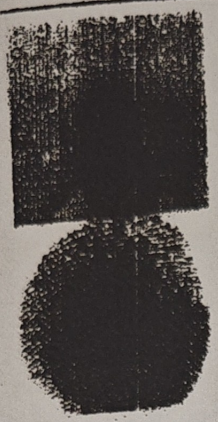
अतः यह बंधकपत्र निम्न व्यवस्था का साक्षी है:-

1. यह कि बंधककर्ता ने आज अपनी निम्नवर्णित भूमि की एवज में मु० 12,00,000/– बारह लाख रूपये बिना ब्याज बंधकगृहिता से बतौर उधार नगद प्राप्त कर लिए है और बंधकगृहिता को मौके पर कब्जा दे दिया है अब जब तक मैं इस रकम को लौटा नही पाता तब तक बंधकगृहिता निम्न वर्णित भूमि को गेंत एवं बोएंगे अब बंधककर्ता का मौके पर कब्जा नहीं रहा है।
2. यह कि बंधककर्ता इस रकम को वार्षिक 30.10.2023 तक वापिस लौटा देगा अन्यथा यदि बंधककर्ता उक्त रकम की अदायगी में चूंक करें या अदा करने में असफल रहे तो बंधकगृहिता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बंधकित सम्पत्ति का विक्रय कर अपने ऋण को वसूल कर ले और उक्त बंधकित सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त धन अपर्याप्त हो तो वह बंधककर्ता की अवशेष सम्पत्ति से उसे वसूल कर

बही संख्या । रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... वर्ष 2025



राजेश ढोठी



डिम्पल



संजय कुमार ढोडी

Online Nakal -UKNKL202604030722O,Atul pal,8937[illegible]
TRUE COPY 1

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानसार लिये गये है ।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
उप-निबंधक,
देहरादून.तृतीय

प्रयोग एवं उपयो[illegible] करे या फिर उसका कोई उपकरण स्थापन के लिए अथवा अन्य [illegible] का भवन बनाये अर्थात् मौके पर किए गए अपने समान कब्जे को निरन्तरता में जो भी आवश्यक हो वह मौके पर अपने अधिकार हेतु करें इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति बंधककर्ता को नहीं है।

4. यह कि जब भी बंधककर्ता बंधकगृहिता को बंधक धन की अदायगी करेगा तो बंधकगृहिता उसे प्राप्ति की रसीद देकर बंधक मोचन का विलेख लिख देगा।
5. यह कि बंधककर्ता एवं बंधकगृहिता शब्द में उनके दायद, उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक और समनुदेशित भी सम्मिलित समझे जाएंगे।

बंधकित सम्पत्ति का विस्तृत विवरण

भूमि खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1193 कुल रकबा 4260 वर्ग मीटर स्थित मौजा बालावाला देहरादून।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनो पक्षकारों ने निम्नलिखित [illegible] साक्षियों के समक्ष स्थान देहरादून में एवं दिनांक 10/05/2022 को अपने-अपने हस्ताक्षर कर उक्त विलेख की पुष्टि कर दी है।

UNKL2026040307220,1[illegible]8937890[illegible]
TRUE COPY

ह० बंधककर्ता.....

ह० बंधकगृहिता.....

(श्री अमित [illegible] बंसल)

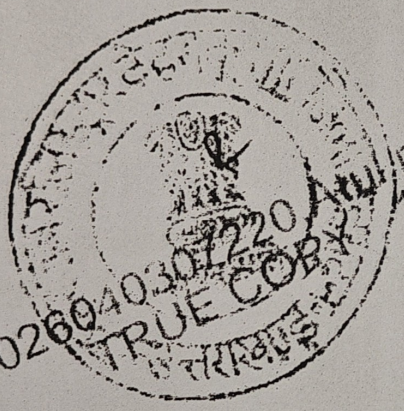
(श्री राजेश डोडी)

ATTESTED
(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite [illegible]
Collectorate Compound
Dehradun (Uttarakhand)

1. Dimble

2. SANJAY K DHODI
S/. CHAMAN L DHODI
26 SUMAN NAGAR
DHARAMPUR, D. DUN

Dimple
W/o Amit Kumar
8 Dhamawala Bazar
Dehradun



National-UKNKL202604030722

वाद संख्या- 376/2023
ता० पे०- 22.10.2024

प्रमाणित किया जाता है कि
की ओर से रु० 60,000/- व ब्याज Rs 27,405- कुल Rs 1,25,100 चेक नं०- 263358 16/11/24
आज दि० रु० 37,695-
रु० 24,000- चेक नं० 29312 दिनांक 18.11.2024 मौके 1,49,100-
पर सुलझाने श्री राजेश दोडी s/o श्री -चमन लाल
निवासी 40, सुमित नगर चकपुर देहरादून
द्वारा किया गया। पक्ष में
स्वीकार योग्य लिया जाता है।

20.11.24

अपर जिला न्यायाधीश (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

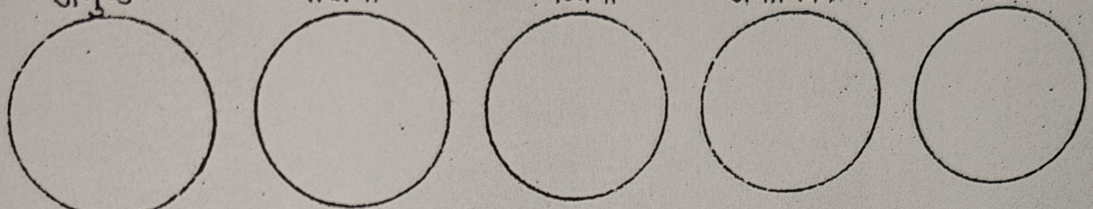
प्रथम पक्ष की ओर से निवेदन आज्ञीकार करते हुए व द्वितीय पक्ष की ओर से निवेदन स्वीकार करते हुए उस तथ्यक पत्र को एक पक्ष की ओर से पठनीय किया जाता है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

प्रथमपक्ष का नाम : श्री अमित कुमार पाल।

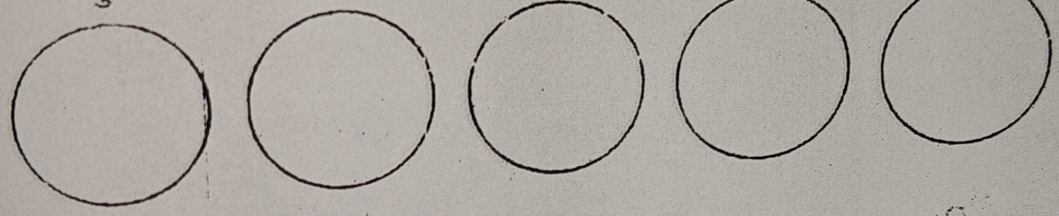
बांये हाथ के अंगुलियो के निशान

अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका



दांये हाथ के अंगुलियो के निशान

अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यना | अनामिका | कनिष्ठिका



ह0 प्रथमपक्ष

द्वितीयपक्ष का नाम : श्री राजेश ढोडी।

बांये हाथ के अंगुलियो के निशान

अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका



दांये हाथ के अंगुलियो के निशान

अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका



ह0 द्वितीयपक्ष

रचियता -- पक्षकार स्वयं।

Atul pal,8937839312
TRUE COPY
KNK2026040307229
ne Vakil

बही संख्या 1 जिल्द 8,780 के पृष्ठ 185 से 208 पर क्रमाक 6448 परिआज दिनांक

24 Aug 2026 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,तृतीय
24 Aug 2026

TRUE COPY UKNKL202604030722O Atul Pal 8958733

line Nakal

RIYA VERMA

Digitally signed by RIYA VERMA
Date: 2026.09.11 18:09:27 +05'30'

AnyScanner